# न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-447/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

मो0 हेलाल, पे0-मो0 अलीम,
सा0-लाटखरीद, पो0-मुसंडा, वार्ड नं0-10
थाना-सिकटी, जिला-अररिया
(मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38F4967
चेसीस सं0-MBLJA06AHEGD02970,
ईजन सं0-JA06EJEGD15005 के मालिक) .......................विपक्षी

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-836/हि0शा0,दिनांक-19.04.2020) के आलोक में सिकटी थाना कांड संख्या-241/2017, दिनांक-15.09.2017, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38F4967, चेसीस सं0-MBLJA06AHEGD02970, ईजन सं0-JA06EJEGD15005 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के वावजूद विपक्षी की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है।<br><br>(2) विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-836/हि0शा0, दिनांक-19.04.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।<br><br>(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि निरीक्षक, सन्दीप सिंह, 'जी' समवाय, सिकटी थाना दिनांक 15.09.2017 को पेट्रोलिंग पार्टी के साथ रवाना हुआ। पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा एरिया डोमिनेट करने के दौरान लोकल स्त्रोत से खबर मिली कि एक लाल हीरो ग्लेमर पंजीयन संख्या-BR-38F-4967 नेपाल से नेपाली शराब लेकर आ रही है। कुछ समय पश्चात् 12.20 बजे एक लाल हीरो ग्लेमर नेपाल से आती हुई दिखाई दिया। पेट्रोलिंग पार्टी ने उसे रूकने का इशारा किया। विपक्षी(मोटर साईकिल) सवार भागने का कोशिश किया। पेट्रोलिंग पार्टी ने उसे घेर कर पकड़ लिया। दो स्वतंत्र गवाहों-1. मनोज कुमार साह, पिता-बासो साह, ग्राम-सिकटी, थाना-सिकटी, वार्ड नं0-11, जिला-अररिया एवं 2. किशोर कुमार साह, पिता-रामेश्वर साह, ग्राम-सिकटी, वार्ड सं0-11, थाना-सिकटी, जिला-अररिया के समक्ष पकड़ाये गये व्यक्ति की छानबीन की गई। एक हीरो ग्लेमर बाईक पंजीयन संख्या-BR-38F-4967 की डिग्गी तथा एक थैले से नेपाली शराब कुल-54 बोतल प्रति बोतल (180 मिली लीटर) कुल-9.720 लीटर ब्लू टिवर बरामद किया गया। बरामद शराब एवं वाहन को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया तथा विपक्षी के विरूद्ध सिकटी थाना काण्ड संख्या-241/17, दिनांक-15.09.2017, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग भारी मात्रा में अवैध शराब को ढ़ोने में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को | |

अधिहरण वाद संख्या-447/2020

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | राजसात किया जाय। | |

(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-836/हि0शा0, दिनांक-19.04.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि सिकटी थाना कांड संख्या-241/2017, दिनांक-15.09.2017, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग 9.720 लीटर ब्लू टिवर अवैध शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। सिकटी थाना कांड संख्या-241/17, दिनांक-15.09.2017, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में **जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38F4967, चेसीस सं0-MBLJA06AHEGD02970, ईंजन सं0-JA06EJEGD15005 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1015/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया